# कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक एफ. 07/2003/10–06/निस्तार/4353 भोपाल, दिनांक 19–11–2003

प्रति,

**समस्त वन संरक्षक**

**मध्यप्रदेश**

**विषय :– निस्तारी जलाऊ चट्टे की बिक्री दर के संबंध में।**

———0———

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 575 दिनांक 05.02.1999 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. के पत्र क्रमांक निस्तार/2952 दिनांक 19.06.2001 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक निस्तार/1041 दिनांक 13.03.2003 का अवलोकन करें। निस्तार में जलाऊ चट्टे सुरक्षा समिति के द्वारा प्रदाय करने पर जलाऊ लकड़ी की रायल्टी मुक्त कर दी गई हैं इसमें सिर्फ कटाई, परिवहन एवं पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर निस्तार दर निर्धारित की जाती है।

जहॉं निस्तार में जलाऊ चट्टे सीधे ग्रामीणों को दिये जाते हैं, वहॉं रूपये 25/– रायल्टी तथा कटाई, परिवहन एवं पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर निस्तार दर निर्धारित की जाना है। सामान्यतः यह गणना रूपये 100.00 से कम ही परिगणित होनी चाहिये।

कृपया शासन एवं इस कार्यालय के द्वारा दिये गऐ निर्देशों के अनुरूप ही जलाऊ चट्टे की निस्तार दर निर्धारित की जावे।

**हस्ता.**

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**

**म0प्र0, भोपाल**

प्रारूप अपर प्र.मु.व.सं. (उत्पादन)
द्वारा अनुमोदित

**विषय :– वनों से 5 कि.मी. एवं बाहर की परिधि के ग्रामीणों को सुविधा एवं बसोड़ो को पूर्ण वर्ष हरा बांस उपलब्ध कराये जाने बाबत्।**

माननीय वनमंत्री जी द्वारा उपरोक्त दोनो विषयों में व्यवस्था बनाने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये थे। इस सम्बन्ध में वनों से 5 कि.मी. की परिधि के ग्रामीणों को वर्तमान में निस्तार सुविधा के अंतर्गत जलाऊ लकड़ी प्रदाय करने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु 5 कि.मी. से दूर जो ग्रामीण अथवा कुम्हार समुदाय आदि निवास करते है, उन्हे जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान में निम्न व्यवस्था है :–

स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा मांग किये जाने पर अग्रिम रूप से पैसा पटाने के बाद बाजार दर पर जलाऊ लकड़ी ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जायेगी। पंचायत चाहे तो इसके लिये फुटकर विक्रेता की नियुक्ति कर सकती है, परन्तु इस प्रावधान का वास्तविक उपयोग इसलिये नही हो पा रहा है कि विभिन्न वनमण्डलों में जलाऊ लकड़ी की बाजार दरें काफी अधिक निर्धारित हुई है। (परिशिष्ट–1)

पंचायत द्वारा अग्रिम रूप से पैसा पटाकर जलाऊ लकड़ी उठाने के लिये कोई इच्छा व्यक्त नही की गई है। फलस्वरूप विगत् वर्षो में केवल शमशान घाटों के लिये अत्यावश्यक व्यवस्था तक ही जलाऊ लकड़ी का प्रदाय सीमित रहा है।

प्रदेश में लगभग 3,50,000/– जलाऊ चट्टे वार्षिक उत्पादित होते हैं। इनमें से 5 कि.मी. के अंदर के ग्रामीणों की निस्तार पूर्ति के माध्यम से जो परिदान होता है वह 35000 (मात्र 10 प्रतिशत) चट्टों के आसपास ही है। इस प्रकार एक ओर उत्पादित जलाऊ चट्टो की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, दूसरी ओर 5 कि.मी. के परिधि के ग्रामीणों को ऐसे जलाऊ चट्टे प्राप्त करने के लिये बहुत प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नही है।

जलाऊ लकड़ी की बाजार दर निर्धारण करने के सम्बन्ध में जो निर्देश है, उससे बाजार दर के आधार पर अथवा लागत मूल्य के आधार पर जो भी अधिक हो दर निर्धारित करने के निर्देश है। कुछ जिलों में बाजार दर निर्धारण हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) से जानकारी प्राप्त कर के बाजार दर का निर्धारण किया जा रहा है। पूर्व में जब वन विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी न्यूक्लिक्स डिपों के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा नियुक्त फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध करायी जाती थी तब कलेक्टर से बाजार दर पूछने के निर्देश थे। नवीन निस्तार नीति में वन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी प्रदाय करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः कलेक्टर से पूछकर बाजार दर निर्धारण का कोई ओचित्य नहीं बनता। वस्तुतः वन विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी न्युक्लिअस डिपो अथवा मुख्य डिपो से जिस दर पर बेची जा रही है, वही बाजार दर है। अतः इसी के अनुसार बाजार दर का निर्धारण किया जा सकता है अथवा वन विभाग के न्यूक्लिअस डिपो से जलाऊ लकड़ी काफी कम मूल्य पर 5 कि.मी. की परिधि के बाहर के ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा सकती है। विगत एक वर्ष से समस्त जलाऊ लकड़ी वनों से 20 कि.मी. के अन्दर न्यूक्लिअस डिपो स्थापित करके निर्वर्तन की जा रही है। इसके फलस्वरूप वन विभाग का लागत मूल्य परिवहन मूल्य कम होने के कारण पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। ऐसी जलाऊ लकड़ी के विक्रय की जो दरें प्राप्त हुई है वह परिशिष्ट–2 में दर्शायी गई है।

| |
|---|
| **विषय :– वनों से 5 कि.मी. एवं बाहर की परिधि के ग्रामीणों को सुविधा एवं बसोड़ो को पूर्ण वर्ष हरा बांस उपलब्ध कराये जाने बाबत्।** |

**पूर्व पृष्ठ से आगे:–**

प्रस्ताव यह है कि वन विभाग के न्यूक्लिअस डिपो में विगत 12 महीने में निर्धारित जलाऊ चट्टों की भारित औसत दर के आधार पर 5 कि.मी. के बाहर के समस्त ग्रामीणों, कुम्हार समुदाय एवं अन्य उपभोक्ता को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जा सकती है। वे न्यूक्लिअस डिपो से सीधे परिदान प्राप्त करके अपने साधन से परिवहन करायेंगे। इस दर पर ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र प्राप्त कर कुम्हार, ढाबे वाले आदि निर्धारित मूल्य पर नीलाम में भाग लिये बिना जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर सकेंगें। शासन द्वारा दी गयी सुविधा का दुरूपयोग रोकने के लिये इन डिपो से जलाऊ लकड़ी के प्रदाय हेतु कुछ प्रतिबंध लगाया जाना भी प्रस्तावित है।

(1) विक्रय डिपो से जलाऊ चट्टों का प्रदाय सप्ताह में कुछ (एक या दो) निर्धारित दिनों को ही किया जाए।

(2) जिस उद्देश्य के लिये एवं जिस स्थान के लिये जलाऊ लकड़ी प्रदाय की गयी है, जलाऊ लकड़ी का परिवहन अनुमति उसी स्थल एवं उद्देश्य के लिये होगी। अन्यत्र स्थान के लिये परिवहन किये जाने पर अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग किये जाने या विक्रय किये जाने पर प्रदाय अवैध माना जाकर लकड़ी जप्ती कर राजसात की जायेगी।

(3) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त जलाऊ लकड़ी के उपयोग के लिये समय सीमा भी निर्धारित करना होगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त जलाऊ लकड़ी का उपयोग एक माह के अंदर करना होगा। एक माह के पश्चात् इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उस जलाऊ लकड़ी का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जायेगा एवं एक माह के पश्चात् इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त की गयी लकड़ी को अवशेष नहीं दर्शाया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर विचार कर शासन निर्णय लेने का अनुरोध है।

<u>बसोड़ों को हरा बांस उपलब्ध कराया जाना–</u> विभागीय कूपों से बांस की कटाई 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के मध्य की जाती है एवं इसी अवधि में बांस कटाई नियमों के अनुसार काटा गया बांस बसोड़ों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बांसों के वैज्ञानिक प्रबंधन की दृष्टि से बांस कूपों की कटाई पूरे वर्ष की जाना संभव नहीं है। अतः वन विभाग के द्वारा पूरे वर्ष हरे बांस उपलब्ध नहीं कराये जा सकेगें। इस अवधि में काटे गये बांसों को 16 फरवरी से 15 अक्टूबर के मध्य बसोड़ों को उपलब्ध करा दिया जाता है, परन्तु पानी गिर जाने के पश्चात् बसोड़ इन बांसों को लेने में रूचि नहीं लेते है। वर्ष भर बसोड़ों को हरा बांस किसानों की मेढ़ों पर उगाये गये बांस भिर्रो से प्राप्त हो सकते है। शासन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि निजी भूमि पर लगे हुये बांस भिर्रो में कटाई करने के लिये कलेक्टर अथवा किसी भी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता न हो, बशर्ते कि बांस भिर्रो का निःशेष पातन नहीं किया जाये। अतः इस संबंध में विभाग के द्वारा प्रचलित पक्रिया के अनुसार सुसंगत कार्यवाही की जा रही है।

विषय :– वनों से 5 कि.मी. एवं बाहर की परिधि के ग्रामीणों को सुविधा एवं बसोड़ो को पूर्ण वर्ष हरा बांस उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

पूर्व पृष्ठ से आगे:–

उपरोक्त विषय में निर्णय लेने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सकता है।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

U N-/5
29.01.04

## परिशिष्ट–एक

वन क्षेत्र से 5 कि.मी. से अधिक दूरी के ग्रामों/शहरी क्षेत्रों के लिये वर्ष 2004 में जलाऊ चट्टो की, विक्रय हेतु स्वीकृत दर

| क्रमांक | वन वृत्त | वनमण्डल का नाम | शमशान घाट हेतु शहरी क्षेत्र हेतु प्रदाय दर | शहरी क्षेत्र से प्रदाय प्रति चट्टा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल | भोपाल | 631 | |
| | | सीहोर | 631 | 790 |
| | | विदिशा | 468 | 585 |
| 2 | बैतूल | उत्तर बैतूल | 600 | |
| | | दक्षिण बैतूल | 600 | |
| | | पश्चिम बैतूल | 600 | |
| 3 | बालाघाट | उ. बालाघाट | 480 | 569 |
| | | द.बालाघाट | 480 | 569 |
| 4 | छतरपुर | उत्तर पन्ना | 600 | 600 |
| | | दक्षिण पन्ना | 600 | 600 |
| | | छतरपुर | 700 | |
| 5 | सिवनी | उ. सिवनी | 296 | |
| 6 | जबलपुर | जबलपुर सा. | | 425 |
| | | डिण्डौरी सा. | | 340 |
| | | कटनी सा. | 340 | 425 |
| | | पू. मण्डला | 340 | 550 |
| | | प. मण्डला | | 550 |
| | | बफर जोन मंडला | | 550 |
| 7 | शहडोल | उत्तर शहडोल | 405 | |
| | | उमरिया | 405 | |
| 8 | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 310 | 310 |
| | | हरदा | 228 | 228 |
| 9 | इन्दौर | धार | 550 | |
| 10 | उज्जैन | नीमच | | 140 |
| | | शाजापुर | 600 | 100 |
| 11 | ग्वालियर | ग्वालियर | 655 | 655 |
| | | दतिया | 550 | |
| | | भिण्ड | 550 | |

## परिशिष्ट–2

## जलाऊ चट्टों के औसत विक्रय मूल्य का विवरण

| वनमण्डल का नाम | काष्ठागार का नाम | नीलाम दिनांक | औसत दर प्रति चट्टा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| द. नर्मदा उत्पादन | आशापुर | 11/02 to 09/03 | 225 |
| | बलड़ी | 03/03 to 07/03 | 241 |
| | सक्तापुर | 03/03 to 07/03 | 253 |
| | हरसूद | 12/02 to 09/03 | 251 |
| देवास उत्पादन | खारिया | 02/03 to 12/03 | 309 |
| | किटखेड़ी | 01/03 to 09/03 | 283 |
| | निमलाय | 02/03 to 12/03 | 292 |
| जबलपुर सामा. | गोसलपुर | 02/03 to 06/03 | 229 |